भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

2011

पत्रांक– डी0 26015/5/2010–1714 दिनांक –08.8.2012

निविदा आमंत्रित

विषयः– बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना के लिए वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 में सरकारी वाहन एम्बेस्डर क्लासिक मॉडल नम्बर 1800 आई.एस.जेड. तथा जिप्सी को चलाने के लिए चालक मासिक दर पर उपलब्ध कराने पर आने वाले खर्च प्रति चालक अंकित करते हुए दिनांक 16.8.2012 तक मुहरबंद लिफाफे में एक वर्ष हेतु (अधिकतम तीन वर्ष तक बढाई जा सकती है) निविदा दर प्रस्तुत किया जाय ताकि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली से कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(अ) प्रतिदिन **कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योराः–**

1) प्रातः 9.30 से अपराह्न 6.00 तथा पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर आना एवं जाना। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

2) अवकाशों के दिनों में भी आवश्यकतानुसार वाहन चालक की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

3) सरकारी वाहनों का प्रतिदिन साफ–सफाई किया जाना।

4 अधिकृत वाहन चालक द्वारा ही वाहन को चलाने, उसकी सफाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।

5) चालक को यूनिफॉर्म सहित उपलब्ध कराना।

6) प्रतिदिन वाहन को कार्यालय परिसर में लगाया जायेगा।

7) सरकारी दौरे पर अधिकारियों को पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन को पटना से बाहर ले जाना होगा।

8) वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स (स्थायी) होना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार नवीकृत हो।

9) वाहन चालक का पूरा विवरण पता एवं लाईसेंस की छायाप्रति आदेश के उपरांत कार्यालय में जमा करना होगा।

चालक की अनुपस्थिति अथवा कार्यालय वाहन खराब रहने पर चालक का भुगतान मासिक दर का अनुपातिक राशि देय होगा।

(ब) सामान्य शर्तेः—

1) निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रत्येक माह "कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र" दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

2) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित है।

3) निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में टेंडर बॉक्स में या कुरियर/डाक द्वारा निदेशलय के पते पर भी भेजा जा सकता है। दिनांक 16.8.2012 के अपराह्न 3 बजे तक टेंडर बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलते समय रह सकते हैं।

4) निविदादाता को श्रम विभाग/वाणिज्य–कर/सेवा–कर/कर्मचारी भविष्य निधि विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा पैड पर उक्त पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

5) भुगतेय राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जाएगी।

6) मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के उपर साफ–साफ बड़े एवं पठनीय अक्षरों में जनगणना निदेशालय, बिहार में "वाहन चालक कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।

7/8/12

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का0 अ0)
जनगणना परिचालन, बिहार, पटना।

ORGI Website
Notice Board
निविदा समिति के सभी सदस्य
श्री भास्कर मिश्रा, उप महारजिस्ट्रार (जीवनांक) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।